भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *99
मंगलवार, दिनांक 12 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>देश की नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता</u>

*99. श्री सतीश चंद्र दूबेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में देश की नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): एक विवरण सभा के पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'देश की नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.12.2023 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 99 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): देश में अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 140.64 गीगावाट थी, जो बढ़कर दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 की स्थिति के अनुसार 178.98 गीगावाट हो गई। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता इस प्रकार है:-

	अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता (गीगावाट में)
31.03.2021	142.01
31.03.2022	156.61
31.03.2023	172.00
31.10.2023	178.98

इस वृद्धि का श्रेय भारत के अक्षय ऊर्जा स्रोतों की महत्वपूर्ण व्यवस्था किए जाने, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को आकर्षक बनाए जाने और देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सुविधाजनक नीतिगत उपाय किए जाने को दिया जा सकता है, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक, वितरण कंपनियों सहित नामित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म संसाधनों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्धारित करना,
- बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु भूमि एवं पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंज के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई,
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया,
- वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रति वर्ष 50 गीगावाट की अक्षय विद्युत बोलियों के लिए जारी की जाने वाली निर्धारित ट्रेजेक्टरी को अधिसूचित करना।

*****